न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

(8)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या:– 01/2017

प्रार्थीगण	बनाम	**अप्रार्थीगण**
1– ओमप्रकाश पुत्र स्व. मांगीलाल जाति सैन निवासी ग्राम दांतीवाड़ा तहसील व जिला जोधपुर।		1– तहसीलदार जोधपुर। 2– सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।

प्रार्थना पत्र बाबत् तरमीम दुरूस्ती करने

उपस्थिति :–

आदेश दिनांक 21.03.2018

1– श्री प्रार्थी स्वयं उपस्थित
2– श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता (अप्रार्थीपक्ष–2)
3– अप्रार्थी–1 इत्तला बावजूद अनुपस्थि।

:– आदेश –:

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र वाक्यात इस प्रकार है कि वाके ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा नम्बर 429 रकबा 82.06 बीघा भूमि में से 28.00 बीघा दिनांक 30.09.1976 को राजस्व शिविर में आबादी घोषित करने के उपरान्त भी आबादी घोषित भूमि की तरमीम नहीं करने पर प्रकरण जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति जोधपुर दायर हुआ जिस पर सतर्कता समिति ने बाद सुनवाई में निर्देशित किया गया कि जहां पर सरकारी मद से आंगनवाड़ी केन्द्र, पानी की टंकी, स्कूल, सभा भवन एवं मौके पर पानी का कुआं बना है व ग्राम पंचायत ने पट्टे दिये है, वह ग्राम पंचायत की भूमि है शेष भूमि ज़ेड़ीए की है उस अनुसार तरमीम करने के आदेश देने के बाद भी तरमीम नहीं कर अतिक्रमियों को लाभ पंहुचाने की नियत से तरमीम कार्यवाही नहीं हुई, जिससे व्यथित होकर यह प्रार्थना–पत्र पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार जोधपुर को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार का नोटिस पेशी तारीख 11.07.2017 बाद तामील लौटा। तहसीलदार जोधपुर की ओर से कोई जबाब पेश नहीं हुआ। प्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 26.05.2017 को एक प्रार्थना–पत्र बाबत् जे.डी.ए.जोधपुर को पक्षकार बनाने का पेश हुआ। सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को नोटिस जारी किया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। दिनांक 02.01.2018 को प्रार्थना–पत्र बाबत् जे.डी.ए. को पक्षकार बनाने पर बहस सुनकर न्यायहित में सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को अप्रार्थीपक्ष–2 बनाया गया।

(9)

दिनांक 13.03.2018 को प्रार्थीपक्ष स्वयं एवं अप्रार्थी–2 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर बहस में बतलाया कि वर्ष 1976 को राजस्व शिविर के दौरान ग्राम पंचायत खातियासनी की मांग करने पर ग्राम दांतीवाड़ा के ख.नं. 429 रकबा 82.6 बीघा भूमि में से 28.00 बीघा आबादी घोषित करते हुए आवंटन किया गया, परन्तु उक्त आबादी भूमि का मौके पर भौतिक रूप से पालना नहीं करने पर एवं शेष भूमि का कब्जा जे.डी.ए. को सुपुर्द करने बाबत् उसने एक परिवाद जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति जोधपुर के समक्ष दर्ज करवाया। उक्त परिवाद पर जिला जन अभाव अभियोजन एवं सतर्कता समिति जोधपुर ने परिवादी, तहसीलदार एवं उपायुक्त जेडीए का पक्ष सुनने के पश्चात् निर्देश दिये गये कि मौके पर सरकारी मद से आंगनवाड़ी केन्द्र, पानी की टंकी, स्कूल, सभा भवन एवं मौके पर पानी का कुंआ बना है व ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि मानते हुए पट्टे दिये है वह ग्राम पंचायत की भूमि मानी है तथा शेष जेडीए की भूमि मानी गई। बहस में यह भी कहा कि प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा पेश किया गया उसमें सतर्कता समिति के दिये गये निर्देशानुसार संलग्न नजरी नक्शा में भौतिक सत्यापन के रूप में सरकारी निर्माण मार्क ए से एफ, ए मार्क जोधपुर अजमेर हाई वे सड़क 112 है, बी मार्क स्कूल, सी मार्क पानी का कुआ, डी मार्क सभा भवन, ई मार्क सभा भवन, एफ मार्क आंगनवाड़ी केन्द्र, जी मार्क पानी का हौद/टंकी तथा संघन आबादी क्षेत्र को पीले रंग दर्शाया है तथा जहां पंचायत द्वारा पट्टे नहीं दिये हुए है, अतिक्रमण तथा बाड़ों व मकान बनाकर अतिक्रमण किये हुए वो केसरीया रंग से दर्शाया गया है। बहस के अंत में कहा कि दिनांक 13.10.16 को सतर्कता समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप तरमीम करवाने का आदेश दिये जाने की प्रार्थना की ।

अप्रार्थी–2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा नम्बर 429 में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 29.12 बीघा भूमि धारित की जाती है तथा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित सतर्कता समिति की बैठक दिनांक 10.11.16 को तहसीलदार जोधपुर एवं उनकी टीम तरमीमसुदा खसरा नम्बर 429 की प्रतिलिपि पेश की गई उसमें त्रुटियां पाई गई। जोधपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में तरमीम सुदा खसरा संख्या 429 का रकबा कंगी व अन्य यन्त्रों से करबा बरारी करने पर लगभग 25 बीघा ही होता है अतः रिकॉर्ड के अनुसार 4 बीघा भूमि कम है। बहस में यह भी कहा कि सतर्कता समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार ग्राम सेवक एवं हलका पटवारी व अन्य संबंधित स्टाफ ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी समस्त पट्टा घारियों के भूखण्डों का पूर्ण रूपेण सर्वेक्षण व संकलन नहीं किया है जिससे ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टो का क्षेत्र भी प्राधिकरण की तरमीमसुदा भूमि खसरा संख्या 429 में आ गया तथा कुछ अतिक्रमियों जिनके पास किसी भी प्राधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा पट्टे या स्वामित्व संबंधी दस्तावेज या सबूत नहीं है वो ग्राम पंचायत की तरमीम सुदा भूमि खसरा सं. 429/1 में आ गये। अंत में यह भी कहा कि परिवादी ने गलत तरमीम मानते हुए यह अपील पेश की गई वो सही व सारयुक्त है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रार्थी/अपीलार्थी का मुख्य कथन यही है कि ग्राम दांतीवाड़ा के ख.नं. 429 की भूमि में से पूर्व में वर्ष 1976 में 28.00 बीघा भूमि आबादी में आवंटन करने के पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं करने एवं इसी खसरा 429 की भूमि 29.12 बीघा जे.डी.ए. के नाम होने के बाद भी तरमीम नहीं करने पर एक परिवाद (1439/14) जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति जोधपुर के समक्ष दायर किया गया जिसमें दिनांक 13.10.2016 को परिवादी, तहसीलदार जोधपुर एवं उपायुक्त जेडीए को सुनकर प्रकरण में निर्देशित किया गया कि " जहां मौके पर आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत भवन, पानी की टंकी, स्कूल, सभा भवन एवं पानी का कुंआ बना है व ग्राम पंचायत ने पट्टे दिये है, वह ग्राम पंचायत की भूमि है। शेष भूमि जेडीए की है। उसी के आधार पर तरमीम करें। जहां पर जेडीए भूमि एवं पट्टे जारी नहीं किये गये है, तथा अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है, उसे धारा 67 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करे। " उक्त निर्देशों की पालना में ग्राम सेवक एवं हलका पटवारी व अन्य संबंधित स्टॉफ ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी समस्त पट्टाधारियों के भूखण्डों का पूर्ण रूपेण सर्वेक्षण व संकलन नहीं करना बताया गया जिससे ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों का क्षेत्र भी जोधपुर विकास प्राधिकरण की तरमीमसुदा भूमि खसरा संख्या 429 में आ गया एवं कुछ अतिक्रमियों, जिनके पास किसी भी प्रकार के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं होने के बाद भी ग्राम पंचायत की तरमीम सुदा भूमि ख.नं. 429/1 में आना कहा। अपीलार्थी के उक्त कथन की ताईद जोधपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त रिपोर्ट से भी होता है। अतः तहसीलदार जोधपुर द्वारा उक्त खसरा नम्बर तरमीम कार्यवाही करवाई गई जो हलका पटवारी द्वारा दिनांक 09.11.16 नकल दी गई, वो निरस्त योग्य है तथा उसे अंतिम नहीं समझी जावे। तहसीलदार जोधपुर को प्रकरण पुनः प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि सतर्कता समिति द्वारा दिनांक 13.10.16 को दिये निर्देशों के अनुसार जहां मौके पर आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत भवन, पानी की टंकी, स्कूल, सभा भवन एवं पानी का कुंआ बना है व ग्राम पंचायत ने पट्टे दिये है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी समस्त पट्टाधारियों के भूखण्डों का पूर्ण रूपेण सर्वेक्षण व संकलन कर तथा परिवादी एवं जे.डी.ए. के प्रतिनिधि को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के रूप में तथा जे.डी.ए. जोधपुर को आवटित भूमि की तरमीम कार्यवाही की जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।